राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 22 मार्च, 1985

क्रमांक 269-ज-(II)-85/9213.—श्री खेम चन्द, पुत्र श्री हुक्मा, गांव पहलादगढ़, तहसील व जिला भिवानी, की दिनांक 11 फरवरी, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्व पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री खेम चन्द की मुश्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4834-र-III-69/28690, दिनांक 3 दिसम्बर, 1969, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती प्रेमी देवी उर्फ सरती के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 275-ज(II)-85/9217.—श्री भरत सिंह, पुत्र श्री हरसरूप, गांव लाढ़ौत, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 19 फरवरी, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भरत सिंह को मुश्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 204-आर-(4)-66/906, दिनांक 11 अप्रैल, 1967, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा, श्रीमती मान कौर के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 23 मार्च, 1985

क्रमांक 282-ज-(II)-85/9373.—श्री हरनन्द सिंह, पुत्र श्री नेकी राम, गांव तलाव, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 18 अक्तूबर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरनन्द सिंह की मुश्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4632-र-(III)-69/28685, दिनांक 3 दिसम्बर, 1969, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती लच्छमी देवी के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 215-ज-(II)-85/9377.—श्री छोटू राम, पुत्र श्री गुरदयाल, गांव कबलाना, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 20 अगस्त, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री छोटू राम की मुन्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6222-ज-(I)-70/2269, दिनांक 25 जनवरी, 1971 तथा 1789-जे-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती छोटी के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 308-ज-(I)-85/9486.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री प्यारे लाल शर्मा अवी, पुत्र श्री रामनारायण, गांव फतेगढ़, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।